



Neutral Citation No. - 2026:AHC:173671

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 बीएनएसएस संख्या - 7877

सन् 2026

आसिफ खान और एक अन्य

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) के अधिवक्ता : सैयद शाहनवाज़ शाह

विपक्षी (गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आज दाखिल किया गया अनुपूरक शपथपत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. यह प्रार्थना पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 606 सन् 2024 के तहत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61, 352, 351(3) बीएनएस, थाना - चांदपुर, ज़िला बिजनौर के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्हें अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
4. दिनांक 11.08.2026 के पूर्व आदेश द्वारा, आवेदक संख्या 1 से संबंधित मौजूदा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निष्फल हो जाने के कारण खारिज कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. मौजूदा प्रार्थना पत्र में आदेश केवल आवेदक संख्या 2 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
6. आवेदक संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक संख्या 2 पूरी तरह बेगुनाह है और उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। आगे यह भी कहा गया है कि इस प्रकरण की सह-अभियुक्त श्रीमती गयजा परवीन ने इस प्रकरण के सूचनाकर्ता के खिलाफ दिनांक 02.07.2025 को मूल वाद संख्या 167/2025 दायर किया था, जो अभी भी लंबित है। सूचनाकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण तरीके से एक दीवानी विवाद को आपराधिक अदालतों में घसीटा है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 175(3) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आवेदक संख्या 2 विवादित संपत्ति का वास्तविक खरीदार है। बिक्री विलेख सह-अभियुक्त गयजा परवीन द्वारा मौजूदा आवेदक संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। आवेदक संख्या 2 का कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है और उसे झूठा फंसाया गया है। आवेदक संख्या 2 ने संपत्ति के विक्रेता को बिक्री की पूरी कीमत का भुगतान कर दिया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी देरी के बाद दर्ज की गई थी, जिसका कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया है। आवेदक संख्या 2 ने अनुपूरक शपथ-पत्र में दो प्रकरणों के अपने आपराधिक इतिहास के बारे में बताया है। आवेदक संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कहना है कि आवेदक संख्या 2 विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है और जांच एजेंसी या संबंधित न्यायालय द्वारा बुलाए जाने पर पेश होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक संख्या 2 को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा और न्यायालय द्वारा लगाई गई सभी शर्तों का पालन करेगा।
7. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, हालाँकि, उन्होंने तथ्यात्मक पहलू से इनकार नहीं किया है।
8. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और अभिलेख का अवलोकन किया है।
9. सुशीला अग्रवाल और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) और एक अन्य, (2020) 5 एससीसी 1 प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभিনিर्धारित किया कि अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर विचार करते समय, न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका,



विवेचना की प्रक्रिया को प्रभावित करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने जिसमें गवाहों को डराना-धमकाना भी शामिल है, की उसकी संभावना, न्याय से बचने की संभावना, जैसे कि देश छोड़कर चले जाना आदि पर विचार करना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया है कि अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, इस पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता, आवेदक की भूमिका और प्रकरण के तथ्यों जैसी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अग्रिम जमानत देनी है या नहीं, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है।

10. **सिद्धार्थ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, (2022) 1 सर्वोच्च न्यायालय केसेस 676** प्रकरण में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता हमारे संवैधानिक अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है। विवेचना के दौरान किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हिरासत में पूछताछ ज़रूरी हो, या अपराध जघन्य प्रकृति का हो, या गवाहों को प्रभावित करने या अभियुक्त के भागने की संभावना हो। केवल इसलिए कि गिरफ्तारी की जा सकती है क्योंकि वह विधिसम्मत है, गिरफ्तारी करने की शक्ति और उस शक्ति का इस्तेमाल करने के औचित्य के बीच फ़र्क करना ज़रूरी है। अगर गिरफ्तारी को एक आम बात बना दिया जाए, तो इससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्म-सम्मान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अगर विवेचना अधिकारी के पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि अभियुक्त भाग जाएगा या समन का पालन नहीं करेगा, और अभियुक्त ने असल में विवेचना में पूरा सहयोग किया है, तो अधिकारी के लिए अभियुक्त को गिरफ्तार करना ज़रूरी नहीं है।

11. अग्रिम जमानत से जुड़े कानून के स्थापित सिद्धांतों, दोनों पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की दलीलों, आरोपों की प्रकृति, आवेदक संख्या 2 की भूमिका प्रकरण से जुड़ी सभी परिस्थितियों और तथ्यों पर विचार करते हुए और प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय ज़ाहिर किए बिना यह माना जाता है कि अग्रिम जमानत का प्रकरण बनता है।

12. तदनुसार, अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को इन निर्देशों के साथ **स्वीकार** किया जाता है:-

(i) अगर इस प्रकरण में शामिल आवेदक संख्या 2 - **औरंगज़ेब खान** को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे विचारण पूरा होने तक अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए उसे



संबंधित थाने के थाना प्रभारी या संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और धनराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने होंगे।

(ii) आवेदक संख्या 2 विवेचना के दौरान विवेचना अधिकारी का सहयोग करेगा और विवेचना किए जाने के उद्देश्य से जब भी आवश्यक हो, विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होगा।

(iii) आवेदक संख्या 2 प्रकरण की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसी जानकारी बताने से रोका जा सके, और

(iv) आवेदक संख्या 2 न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

13. किसी भी शर्त के उल्लंघन अथवा दुरुपयोग की स्थिति में, लोक अभियोजक/विवेचना अधिकारी/प्रथम सूचनाकर्ता-शिकायतकर्ता को यह स्वतंत्रता होगी कि वह आवेदक संख्या 2 को प्रदान की गई अग्रिम जमानत को निरस्त किए जाने हेतु संबंधित न्यायालय के समक्ष उचित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सके।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 अगस्त, 2026

ए.पी. पांडे